५५

22.10.24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई वकील वादी ने प्राप्त रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताया है। दावा अंतिम डिक्री अनुसार किया जाने का निवेदन किया है। प्राप्त फर्द बटवारा स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली ~~मे~~ अन्तिम डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

सं0 : 46/21

1- मोहनलाल पिता हजारी जी जाति भील निवासी मुरोली तह0 बेगूं
2- मांगीबाई पिता हजारी जी जाति भील निवासी मुरोली तह0 बेगूं
3- देऊ पिता हजारी जी जाति भील निवासी मुरोली तह0 बेगूं

......वादी

= बनाम =

1- रामेश्वरलाल पिता बालू जी जाति भील निवासी मुरोली तह0 बेगूं
2- श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं
3- राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़

......प्रतिवादीगण

उपस्थित : देवेन्द्र सिंह
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :- 22.10.2024

निर्णय वाद अ0धा0 88-53-188 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88-53-188 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि-

यह कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात मौजा मुरोली प0ह0 माधोपुर तह0 बेगूं में स्थित है, जिसके खाता सं0 45 होकर आराजी नं0 09 रकबा 0.310 है0, आराजी नं0 10 रकबा 0.15 है0, आराजी नं0 52 रकबा 0.30 है0, आराजी नं0 53 रकबा 0.19 है0, आराजी नं0 521/11 रकबा 0.70 है0, आराजी नं0 522/16 रकबा 0.28 है0, कुल कीता 6 कुल रकबा 1.9300 है0 है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी के वंश का सजरा निम्न प्रकार है-

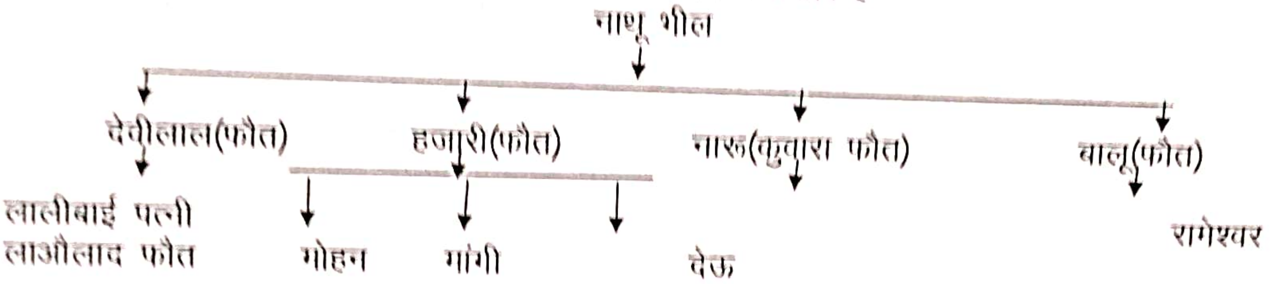

यह कि सजरे अनुसार वादी मोहन के दादा नाथू जी के चार पुत्र देवीलाल, हजारी, नारू, बालू हुए जिसमें से देवीलाल का विवाह लालीबाई से हुआ लेकिन उनके कोई जायन्दा औलाद नहीं से उनके मृत्यु उपरान्त हजारी के लडके मोहनलाल को सामाजिक रीति रिवाज से लहरियां बंधवाया गया। तथा नारू के कुवांरा ही फौत हो जाने से बालू के लडके रामेश्वरलाल को सामाजिक रीति रिवाज से लहरियां बंधवाया गया। जिससे देवीलाल जी हक हिस्सा मोहनलाल के हक हिस्से में आया और नारू का हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वरलाल के हक हिस्से में आया।

यह कि वादीगण और प्रतिवादी सं0 1 के 1/2-1/2 हक हिस्सा बनता है और उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी आपसी तौर पर बंटवारा कर अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हो कर बिना किसी बाधा के बेरोक-टोक निरन्तर काश्त कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधी व मेरपाली व भुमि की किस्म को लेकर विवाद करते रहते है, वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 रामेश्वरलाल को तह0 में चल कर बंटवाडा करने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसलिए वादीगण उक्त भूमि में अपने 1/2 हक हिस्से की खातेदारी हक की घोषणा करा कर बाद घोषणा बंटवाडा कराने के अधिकारी है।

यह कि वाद कारण दिनांक 12.02.2021 हक हिस्से संबंधी विवाद मौके पर करने व वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बंटवारा कराने को कहा लेकिन मना करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...मान से वादीगण निम्न अनुतोष की मांग करता है–
...क वाद वादीगण का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित मौजा मुरोली प0ह0 माधोपुर तह0 बेगूं ...स्थित होकर जिसके खाता सं0 11 होकर आराजी नं0 9 रकबा 0.310 है0, आराजी नं0 10 रकबा ...15 है0, आराजी नं0 52 रकबा 0.30 है0, आराजी नं0 53 रकबा 0.19, आराजी नं0 521/11 रकबा 0.70 है0, आराजी नं0 522/16 रकबा 0.28 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.9300 है0 है। जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा की घोषणा की जावे तथा बाद घोषणा मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कर खाता अलग अलग दर्ज किया जावे।

(ख) अन्य कोई दाद जो बहक वादीगण व विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 हो वादीगण को प्रदान की जावे।

वाद अ0धा0 88–53–188 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से लगायत 3 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तदोपरान्त वादी की एकतरफा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी मोहनलाल पिता हजारी गवाह रायचन्द पिता छीतर गवाह भैरूलाल पिता देवा के बयान लिये जाकर मुख्य परीक्षण मोहन पिता हजारी एवं गवाह रायचन्द पिता छीतर द्वारा किया जाकर वादी मोहनलाल द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। वादीगण की ओर से बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य पूर्ण करायी गयी। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्तागण की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। जिन्होंने वादपत्र अनुसार अपनी बहस निवेदन की। वादी की एकतरफा बहस सुनी जाने के बाद हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी का अवलोक किया गया। अवलोकन में पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 व नारू, बालू पिता नाथु का हिस्सा 2/3 दर्ज अंकित है पत्रावली में बनाये गये सजरे अनुसार उक्त आराजी खातेदार नाथू भील की थी जिसके 4 पुत्र क्रमशः देवीलाल, हजारी, नारू, बालू हुए। देवीलाल व उसकी पत्नी लाऔलाद फौत हुए। हजारी के 3 पुत्र मोहन, मांगी और देऊ जो वादीगण है। नारू कुंवारा फौत हुआ व बालू के पुत्र रामेश्वर जो प्रतिवादी सं0 1 है इस प्रकार वर्णित आराजीयात में मृतक देवीलाल व नारू का हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी में विभक्त करने पर वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाना हम उचित समझते है। इसी अनुसार विभाजन कराया जाना न्यायासंगत है।

अतः वाद वादीगण का अंतर्गत धारा 88–53–188 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा मुरोली प0ह0 माधोपुर की आराजी सं0 9, 10, 52, 53, 521/11, 522/16 कुल कीता 6 कुल रकबा 1.9300 है0 भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 घोषित किया जाता है। इसी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय मे पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/4306 दिनांक 25.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने कि घोषणा कि जाती है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मुरोली प.ह. माधोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री मोहनलाल 1/3, मांगीबाई 1/3, देउबाई 1/3, पिता हजारी भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
9 मेसे	0.09	0.17
10	0.15	0.37
521/11	0.21	9.68
522/16 मेसे	0.21	0.39
कीता– 04	0.97 हैक्टर	10.61

2– कन्हैयालाल 1/14, कमलेश 1/14, मेना 1/14, शिवानी 1/14, पिता रामेश्वर, ककुं पति रामेश्चर 1/14, प्रेम पुत्री रामेश्वर 1/14, भील सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमांवदी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
9 मेसे	0.22	0.40
52	0.30	5.58
53	0.19	0.35
521/11	0.18	3.34
522/16 मेसे	0.07	0.13
कीता– 05	0.96 हैक्टर	9.80

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 46/21

1:– मोहनलाल पिता हजारी जी जाति भील निवारी मुरोली तह0 बेगूं
2:– मांगीबाई पिता हजारी जी जाति भील निवारी मुरोली तह0 बेगूं
3:– देऊ पिता हजारी जी जाति भील निवारी मुरोली तह0 बेगूं

...... वादी

– बनाम –

1:– रामेश्वरलाल पिता बालू जी जाति भील निवारी मुरोली तह0 बेगूं
2:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं
3:– राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ

.......प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता अनुपस्थिति में वाद अ.धा. 88–53–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.10.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने कि घोषणा कि जाती है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मुरोली प.ह. माघोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री मोहनलाल 1/3, मांगीबाई 1/3, देउबाई 1/3, पिता हजारी भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
9 मेसे	0.09	0.17
10	0.15	0.37
521/11	0.21	9.68
522/16 मेसे	0.21	0.39
कीता– 04	0.97 हैक्टर	10.61

2– कन्हैयालाल 1/14, कमलेश 1/14, मेना 1/14, शिवानी 1/14, पिता रामेश्वर, ककुं पति रामेश्चर 1/14, प्रेम पुत्री रामेश्वर 1/14, भील सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमांबदी अनुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
9 मेसे	0.22	0.40
52	0.30	5.58
53	0.19	0.35
521/11	0.18	3.34
522/16 मेसे	0.07	0.13
कीता– 05	0.96 हैक्टर	9.80

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 22.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

कमांक/सरिस्ता/2024/519 दिनांक:–25.10.24

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावे

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)